क्रमांक 2815-4 जी0 एस0 II-71/30857

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ 29 अक्तूबर, 1971

विषय :—भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि यह कहूं कि वर्तमान प्रणाली के अनुसार रोजगार विभाग प्रत्येक रिक्ति जो उन्हें अधि सूचित की जाती है, के प्रति सात उम्मीदवारों के नाम इन्टरव्यू के लिए भेजते हैं । अनुभव से मालूम हुआ है कि य प्रणाली भूतपूर्व सैनिकों के लिए असुविधाजनक है तथा कठिनाई का खास कारण है, विशेष कर क्योंकि सभी इंटरव्यू उन घर से बाहर के स्थानों में होते हैं । इस मामले पर गहन विचार कर सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस कठिन को कम करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए प्रवरण भविष्य में निम्नांकित संशोधित प्रणाली से होना चाहिए

2. इसके बजाए कि विभिन्न विभाग साधारण पदों के लिए उम्मीदवारों का अलग अलग इन्टरव्यू लें ऐ भूतपूर्व सैनिकों जिनके नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज, ! का इन्टरव्यू राज्य प्रवरण समिति द्वारा किया जायेगा । इ समिति के सदस्य निदेशक, रोजगार विभाग तथा सचिव, हरियाणा राज्य सैनिक, नाविक तथा हवाबाज बोर्ड होंगे । य समिति ऐसे भूतपूर्व सैनिकों जिन्हें श्रेणी III तथा चार के पदों पर सभी कार्यालयों तथा विभागों में आरक्षित रिक्तियों प नियुक्ति के लिए अधिमान्यता देनी है, का एक विशेष पैनल तैयार करेगी और वे सभी पद इस विशेष पैनल के उम्मीदवा में से भरे जाने चाहिए ।

3. विशेष पैनल तैयार करते समय, समिति न केवल निर्धारित वास्तविकता शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण कर वाले भूतपूर्व सैनिकों को विचार में रखेगी परन्तु उन भूतपूर्व सैनिकों को भी विचार में रखेगी जो कि कथित योग्यताएं न रखते, परन्तु अनुभव के आधार पर, पद के कार्यभार को निभाने के लिए उपयुक्त हैं । दूसरी प्रकार के भूतपूर्व सैनिकों व विशेष पैनल में अस्थाई तौर पर रखा जावेगा, इस शर्त पर कि नियुक्ति अधिकारी योग्यताओं में आवश्यक छूट देने के लि सहमत हों, और इन भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति तभी की जायेगी जब अधिकारी योग्यताओं मे छूट दे दें ।

4. जब विशेष पैनल तैयार हो जायेगा रोजगार कार्यालय, पैनल में से उसी क्रम अनुसार नामों की सिफारि करेगा जिस क्रम में वे पैनल में हैं और केवल उतने ही नामों की सिफारिश की जावेगी जितने पद अधिसूचित किए गए हैं जिन व्यक्ति या व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय सिफारिश करेगा, ये नियुक्ति अधिकारी को नियुक्ति के लिए मान्य हो और उनका फिर से इन्टरव्यू तथा प्रवरण नहीं होगा । यदि सम्बन्धित विभाग बाद में यह अनुभव करे कि जिन व्यक्ति की नियुक्ति की गई है वे अपने पद के कर्तव्य को निभाने में असमर्थ हैं, तो उन्हें सेवा से अलग किया जा सकता है पर प्रथम दशा में उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी ताकि उनको पूरा अवसर मिले ।

5. अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक अनुपालना करने के लिए नोट किए जावे और सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दिए जावे ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशास

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति प्रत्येक को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–